30/3/26	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुदा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. रामपति बेवा रामफल आयु 63 साल
2. कैलाश पुत्र स्व. रामफल आयु 28 साल
3. अमरलाल पुत्र स्व. रामफल आयु 27 साल
4. राजू आयु 26 सा
5. विष्णु आयु 23 साल } पिसरान स्व. रामफल
6. दिनेश आयु 25 साल

सभी जाति माली निवासी कल्लादेह नदी गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. मल्ला पत्नि छोटे आयु 62 साल
2. प्रकाश आयु 41 साल
3. बबलू आयु 42 साल
4. मदनमोहन आयु 21 साल
5. मोहनलाल आयु 38 साल

} पिसरान छोटे सभी जाति माली नि0 कल्लादेह नदी गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

6. सब रजिस्ट्रार एवं लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

धारा 53 व 188, 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा व आदेशात्मक आदेश

मुकदमा नं. 27/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अबरार अहमद, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री अशफाक अहमद, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30/3/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीणा, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मुकदमा 31/18 [illegible]

वादीगण

1. रामवती बेवा रामफल आयु 65 साल
2. कैलाश पुत्र स्व. रामफल आयु 38 साल
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामफल आयु 37 साल
4. राजू आयु 36 सा
5. विष्णु आयु 33 साल
6. दिनेश आयु 29 साल

(4 से 6) पिसरान स्व. रामफल

सभी जाति माली निवासी कल्लाबैड़ गली गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

वादीगण

बनाम

1. मन्ना पत्नि छोटे आयु 62 साल
2. प्रकाश आयु 41 साल
3. बबलू आयु 42 साल
4. मदनमोहन आयु 21 साल
5. मोहनलाल आयु 38 साल

(2 से 5) पिसरान छोटे सभी जाति माली नि0 कल्लाबैड़ गली गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

6. सब रजिस्ट्रार एवं [illegible] तहसीलदार तहसील करौली

प्रतिवादीगण

धारा 53 व 188, 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा व आदेशात्मक आदेश

—::निर्णय::— दिनांक : 26/3/18

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादिया नं0 1 का पति व वादीगण नं0 2 ता 6 का पिता रामफल एवं प्रतिवादी नं0 1 का पति छोटे एवं लिल्लो आपस में सगे भाई है। लिल्लो की शादी नहीं हुई थी, लिल्लो लाऔलाद फौत हो चुका है व छोटे भी फौत हो गया है। लिल्लो शुरू से ही संत महात्मा हो गया अक्सर बाहर रहता था घूमता फिरता था लिल्लो का हम दोनों पक्षकारान समान थे। राजस्व मद नंबर 1 में दर्ज है। वादिया नं0 1 व वादीगण नं0 2 ता 6 के पिता रामफूल छोटे, लिल्लो की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 327, 328, 329, 330, 331, 355/1, कुल किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा वाके गांव गौंडर तहसील व जिला करौली में स्थित है। रामफल

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

के फौत हो जाने के बाद उक्त आराजी हम वादीगण के नाम बतौर वारिसान दर्ज हुई है। उक्त आराजी आज भी हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में चली आ रही हे जो शामलाती है जिसकी अभी तक बंटवारा नही हुआ है। चूंकि लिल्लो लाऔलाद फौत हुआ है इसलिये हम वादीगण लिल्लो की जायदाद के हिस्से की आराजी के बराबर के हकदार है उक्त आराजी के हम संयुक्त काश्तकार काबिज चले आ रहे है व शामलाती तौर पर उक्त आराजी में काश्त करते चले आ रहे है। बंटवारा नही हुआ है। प्रतिवादी नं0 1 ता 5 उक्त आराजी को फर्जी तौर पर अपने नाम करा कर बेचने पर आमादा है इसलिये उक्त आराजी जिसमें हमने बाजरा फसल काश्त की है दिनांक 10.8.19 को उसमें बीचों बीच कांटेदार तार खंभे बल्ली गाड दी है हमारा व खेतों के जाने का रास्ता अवरूद कर दिया है व मनमाने तरीके से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है। मना करने पर जान से मारने की आमादा हो गये व कहा कि अगर उक्त आरजी में आये तो इसी में गड्डा खोद कर गाड देंगे व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 ने स्पष्ट धमकी दी है आरजी को दो चार दिन में किसी अजनबी व्यक्ति को बेच करे रहेंगे। विनाय मुखासमत दिनांक 10.8.19 को उक्त आराजी को विक्रय करने की धमकी देने एवं बाजरा की फसल ने बीचों–बीच अधिक जमीन पर कब्जा कर कांटेदार तार लगा कर बल्ली खंभे गाडने व हमने खेतों को जाने के रास्ता को अवरूद्व करने व मना करने पर जान से मारने की धमकी देने व उक्त आराजी को अजनबी व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी देने पर पैदा हुई है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि तीनों भाई रामफूल छोटे व खास भाई है जिसमें लिल्लो रामफल छोटे तीनो मर चुके है। छोटे मई 2019 व लिल्लो व रामफल मर चुके है। लिल्लो की शादी नही हुई वह निःसंतान था उसने मोक्ष प्राप्ति हेतु मुझ मदनमोहन को गोद रजिस्टर्ड गोदनामा के द्वारा सामाजिक रसूमात को पूरा करते हुऐ लिया तथा

उपखण्ड अधिकारी
कसैली (राज०)

लिल्लो की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिस के रूप में नाम बतौर दत्तक पुत्र रिकोर्ड भी चढ चुका है। वादिया ने बदयान्ति से दावा हाजा करते वक्त मुझ मदनमोहन को लिल्लो का दत्तक पुत्र नही लिखकर छोटे का पुत्र गलत बताया है। तथा सजरा भी दावे के साथ पेश किया है जो गलत है। वादियाने दावा गलत पेश किया है जो खारिज योग्य है बल्कि सही बात यह है कि श्रीमान के इजलास में बंटवारा का दावा विवादित आराजीयात से संबंधित दावा पूर्व से पेंडिग है जिसमें बंटवारे का भी रिलीफ है तथा आगामी तारीख पेशी 3.10.19 नियत है। ऐसी सूरत में मौजूदा दावा चलने योग्य नही है। दावे के मद नंबर 3 जिस तरह पर लिखा है वह गलत है स्वीकार नही हे दिनांक 10.9.19 को खंभे लगने की बात गलत लिखी है बल्कि सही बात यह है कि मुझ मदनमोहन ने मेरे मरहूम पिता लिल्लो से जो हिस्से विरासत में मिला अपने हिस्से में फसलो की रखवाली के लिये बाड कर रखी है जो करीब 5–7 साल पहले से है। उससे वादीगण को कोई नुकसान नही दे तथा मुझे व मदनमोहन को विवादित नंबरान 1/3 हिस्सा लिल्लो के वारिसान के रूप में है तथा छोटे के वारिसान के रूप में मल्ला, प्रकाश, बल्लू व मोहनलाल का 1/3 हिस्सा है तथा रामफल के वारिसान के रूप में वादीगण का 1/3 हिस्सा है तथा रामफल के वारिसान के रूप में वादीगण का 1/3 हिस्सा हे इस तथ्य को वादीगण ने छुपाया है। अलग–अलग हिस्से को भी मौके पर होने को तथ्य को छिपाया है तथा फर्जी कहानी गढ्डा खोदने तार लगाने रास्ता अवरूद करने वगैरहा की बना ली है। जब कि मौके पर कोई भी रास्ता अवरूद्व नहीं है तथा हमारा जरिये मांग आय स्त्रोत फसलों का काश्त करना है। हम किसी सूरत में भी अपनी जमीन को बेचने के लिये तैयार नही है। वादीगण अपने हिस्से में अलग काश्त करते है मौके पर कोई रास्ता अवरूद्व नहीं है मौके पर कमिश्नर भेजकर भी इसकी तस्दीक की जा सकती है। वादीगण को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुई है। दावा खारिज होने योग्य है। वादिया रामपति मुकदमें बाज किस्म की आदतन झगडालू फितरत से हरसाल में झूठे–झूठे कई कई मुकदमें मुझ मदनमोहन के खिलाफ करती रहती है। क्योंकि मेरे पिता लिल्लो के 1/3 हिस्से पर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (राज०)

इसकी निगाह है तथा येन-केन प्रकारण उससे मुझसे छीनना चाहता है। मदनमोहन लिल्लो के वारिसान के रूपमें जमाबंदी में भी बतौर दत्तक पुत्र विरासत में दर्ज हो चुका हूं ऐसी सूरत में वादीगण का दावा वेग एवं अस्पष्ट है क्योंकि मेरे नामांतकरण भरे जाने का उनको कई साल पहले से पता है। लिल्लो की जिंदगी में भी रामपति ने मुझ मदनमोहन का गोद लिया जाने को निरस्त करने के लिये स्वयं लिल्लो व मुझ मदनमोहन को फरीक बनाते हुये दावा श्रीमान मुन्सिफ साहब करौली के यहां पेश किया। जिसका उनवान रामपति बनाम लिल्लो वगैरहा मुकदमा नंबर 6/16, 82/07 जिसमें भी मेरे दत्तक ग्रहण को चेलेन्ज किया गया। परन्तू लिल्लो ने स्वंय ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया तथा रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया। जिसके नतीजे में रामपति का दावा दिनांक 11.10.2017 को मुन्सिफ साहब ने खारिज कर दिया तथा दत्तक ग्रहण को कानूनी माना, परन्तू इस तथ्य को छुपाकर मौजूदा दावा पेश कर दिया है जो मय खर्चा हजा खारिज होने योग्य है। जिसकी प्रमाणित प्रति जवाब दावे के साथ पेश की जा रही है। वादी ने जो रिलीफ चाहा है उसे वह रिलीफ किसी भी सूरत में नही दिया जा सकता। क्योंकि सह खातेदारी की भूमि है तथा स्वयं सरकार से फसलों की रखवाली के लिये जमीन की सुरक्षा के लिये तार व खंभे दिये जाते है वैजा तौर वादीगण ने मेरी फसलो ंकी रखवाली के उद्वेश्य से अपने हिस्से मे लगाये गये तारो का हटवाना चाहती है जिससे मेरा करीब 10–15 हजार रूपये लगे हुऐ है प्रतिवादी नंबर 5 व 6 पाबंद करने का कोई उचित नही है क्योंकि हमारा काश्तकार जीवन गुजर बसर है और यह ही हमारा जरिया मास है। रामपति अपनी आदत के मुताबिक मजीद मुकदमें बाजी का दवाब बनान तैयार करना चाहती है जिससे तहत दावा पेश कर लिये है जो खारिज होने योग्य है। पूर्व से चल रहे एवं फैसल हुऐ मुकदमा के पेशेनजर मौजूदा दावा व दर0 की कार्यवाही ओ010 सी.पी. सी. के तहत स्टे होने योग्य है। सायालान खुद आदतन झगडालू है तथा सह मुकदमा वार हो जाने के बाद भी झूठे मुकदमें कर हम प्रतिवादीगण को तंग व परेशान कर रहे है इसलिए हम अपनी ओर से काउन्टर क्लेम पेश करते है तथा श्रीमान से यह इस्तदुआ करते है कि

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

वादीगण को पाबंद यिका जावे कि वह मुझ मदनमोहन के 1/3 हिस्से तथा छोटे के वारिसान मल्ला, प्रकाश, बबलू, मोहन के 1/3 हिस्से कब्जे काश्त में वादीगण मदाखलत मजाहमत तो स्वयं पैदा करे ना दीगर किसी से करावें। कोर्ट फीस काउन्टर क्लेम हेतु 1/-रूपये अलग से पेश है। अंत में दावा वादी खारिज व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है लिल्लो रामफल छोटे की मृत्यु होना तथा लिल्लो की शादी नही होना स्वीकार नही है लिल्लो द्वारा मदनमोहन को गोद लेने वाली बात गलत है स्वीकार नही है गोद लेने की कोई भी सामाजिक रस्म नही हुई है समाज व वस्ती के सामने कभी भी लिल्लो द्वारा मदनमोहन को गोद नही लिया गया है लिल्लो द्वारा कभी किसी को यह नही बताया गया कि उसने मदनमोहन को गोद लेने का सामाजिक भोज नही हुआ वादीगण के द्वारा ही लिल्लो को जीवन भर खाने पीने की व्यवस्था की गई गोदनामा फर्जी तैयार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना बंटवारा कराये अवैध रूप से उक्त कृषि भूमि में बीचों बीच काटेदार तार खंभें व लकडी की वल्ली गाढ दी है व खेतों को जाने का रास्ता अवरूद कर दिया है जो अधिक जमीन पर कब्जा करने की नियत से किया गया हैं। वादीगण को विनाय मुखासमत सही पैदा हुई है। लिल्लो का मदनमोहन पुत्र नही है कि लिल्लो ने मदनमोहन को कभी गोद नही लिया गोद सं संबंधित कोई भी सामाजिक रस्म नही हुई कोई सामाजिक गोद लेने का प्रतिभोज नही हुआ कोई भी नागरिक बतासे नही वाटे गये गोदनामा फर्जी तैयार किया गया है। सारी कार्यवाही मदनमोहन द्वारा फर्जी तैयार कराई गई है। बिना बंटवारा कराये उक्त भूमि में पत्थर व खंभे व लकडी के खंभे वल्लीयों को लगाकर तार बंदी की गई है अधिक जमीन को दबाया गया है जो बदयान्ति पूर्वक कार्य किया गया है। हम वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के द्वारा फर्जकारी करने व तंग परेशान करने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुकदमें किये गए है प्रतिवादीगण द्वारा पेश काउन्टर क्लेम झूठे आधारों पर पेश किया गया है काउन्टर क्लेम पर कम फीस अदा की गई है बिना बंटवारा कराऐ प्रति वादीगण उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कसैली (जयपुर)

आराजी में काश्त करने व खंभा वल्ली व तार लगाने के अधिकारी नही है। अंत में दावा वादी डिक्री किया जाकर काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:–

1. आया वादग्रस्त आराजी ख0न0 327 ता 331, 355/1 कुल किता 6 कुल रकवा 3 वीघा 12 विस्वा ग्राम भौडेर तह. करौली वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है वादीगण अपने 1/2 हिस्से का बंटवारा कराने की अधिकारी है।

––वादीगण

2. आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है।

––वादीगण

3. आया वादीगण रास्ता भूमि को खुलासा कराने एवं कांटेदार तार खंभा व वल्लीयों को आदेशात्मक आदेश से हटवाने के अधिकारी है।

––वादीगण

4. आया वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के 2/3 हिस्से खातेदारी व कब्जे की है प्रतिवादीगण वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

––प्रतिवादीगण

5. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 रामपति के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श–1, फोटो प्रदर्श–2 व 3 पेश कर प्रदर्शित कराया है एवं गवाह पीडब्ल्यू–2 दिनेश के बयान लेखबद्व कराये है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी मदनमोहन डीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में निर्णय दिनांक 11.10.2017 प्रदर्श ए–1, डिक्री दिनांक 11.10.2017 प्रदर्श ए–2 को पेश कर प्रदर्शित कराया है एवं गवाह डीडब्ल्यू–2 हरिसिंह के बयान लेखबद्व कराये है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

वकील वादी का बहस में कथन है कि वादिया नं0 1 का पति व वादीगण नं0 2 ता 6 का पिता रामफल एवं प्रतिवादी नं0 1 का पति छोटे एवं लिल्लो आपस में खास भाई है। लिल्लो की शादी नहीं हुई थी, लिल्लो लाऔलाद फौत हो चुका है व छोटे भी फौत हो गया है। लिल्लो शुरू से ही संत महात्मा हो गया अक्सर बाहर रहता था घूमता–फिरता था लिल्लो का हम दोनों पक्षकारान समान थे। सजरा मद नंबर 1 में दर्ज है। वादिया नं0 1 व वादीगण नं0 2 ता 6 के पिता रामफूल छोटे, लिल्लो की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 327, 328, 329, 330, 331, 355/1, कुल किता 6 कुल रकवा 7 वीघा 12 विस्वा वाके गांव भौडेर तहसील व जिला करौली में स्थित है। रामफल के फौत हो जाने के बाद उक्त आराजी हम वादीगण के नाम बतौर वारिसान दर्ज हुई है। उक्त आराजी आज भी हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में चली आ रही हे जो शामलाती है जिसकी अभी तक बंटवारा नही हुआ है। चूंकि लिल्लो लाऔलाद फौत हुआ है इसलिये हम वादीगण लिल्लो की जायदाद के हिस्से की आराजी के बराबर के हकदार है उक्त आराजी के हम संयुक्त काश्तकार काबिज चले आ रहे है व शामलाती तौर पर उक्त आराजी में काश्त करते चले आ रहे है। बंटवारा नही हुआ है। प्रतिवादी नं0 1 ता 5 उक्त आराजी को फर्जी तौर पर अपने नाम करा कर बेचने पर आमादा है इसलिये उक्त आराजी जिसमें हमने बाजरा फसल काश्त की है दिनांक 10.8.19 को उसमें बीचों बीच कांटेदार तार खंभे बल्ली गाड दी है हमारा व खेतों के जाने का रास्ता अवरूद कर दिया है व मनमाने तरीके से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है। मना करने पर जान से मारने की आमादा हो गये व कहा कि अगर उक्त आरजी में आये तो इसी में गड्डा खोद कर गाड देंगे व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 ने स्पष्ट धमकी दी है आरजी को दो चार दिन में किसी अजनबी व्यक्ति को बेच करे रहेंगे। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि तीनों भाई रामफूल छोटे व खास भाई है जिसमें लिल्लो रामफल छोटे तीनो मर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

चुके है। छोटे मई 2019 व लिल्लो व रामफल मर चुके है। लिल्लो की शादी नही हुई वह निःसंतान था उसने मोक्ष प्राप्ति हेतु मुझ मदनमोहन को गोद रजिस्टर्ड गोदनामा के द्वारा सामाजिक रसूमात को पूरा करते हुऐ लिया तथा लिल्लो की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिस के रूप में नाम बतौर दत्तक पुत्र रिकोर्ड भी चढ चुका है। वादिया ने बदयान्नि से दावा हाजा करते वक्त मुझ मदनमोहन को लिल्लो का दत्तक पुत्र नही लिखकर छोटे का पुत्र गलत बताया है। तथा सजरा भी दावे के साथ पेश किया है जो गलत है। वादियाने दावा गलत पेश किया है जो खारिज योग्य है बल्कि सही बात यह है कि श्रीमान के इजलास में बंटवारा का दावा विवादित आराजीयात से संबंधित दावा पूर्व से पेंडिग है जिसमें बंटवारे का भी रिलीफ है तथा आगामी तारीख पेशी 3.10.19 नियत है। ऐसी सूरत में मौजूदा दावा चलने योग्य नही है। दावे के मद नंबर 3 जिस तरह पर लिखा है वह गलत है स्वीकार नही है दिनांक 10.9.19 को खंमे लगने की बात गलत लिखी है बल्कि सही बात यह है कि मुझ मदनमोहन ने मेरे मरहूम पिता लिल्लो से जो हिस्से विरासत में मिला अपने हिस्से में फसलो की रखवाली के लिये बाड कर रखी है जो करीब 5–7 साल पहले से है। उससे वादीगण को कोई नुकसान नही दे तथा मुझे व मदनमोहन को विवादित नंबरान 1/3 हिस्सा लिल्लो के वारिसान के रूप में है तथा छोटे के वारिसान के रूप में मल्ला, प्रकाश, बल्लू व मोहनलाल का 1/3 हिस्सा है तथा रामफल के वारिसान के रूप में वादीगण का 1/3 हिस्सा है तथा रामफल के वारिसान के रूप में वादीगण का 1/3 हिस्सा हे इस तथ्य को वादीगण ने छुपाया है। अलग–अलग हिस्से को भी मौके पर होने को तथ्य को छिपाया है तथा फर्जी कहानी गढ्डा खोदने तार लगाने रास्ता अवरूद करने वगैरहा की बना ली है। जब कि मौके पर कोई भी रास्ता अवरूद्व नहीं है तथा हमारा जरिये मांग आय स्त्रोत फसलों का काश्त करना है। हम किसी सूरत में भी अपनी जमीन को बेचने के लिये तैयार नही है। वादीगण अपने हिस्से में अलग काश्त करते है मौके पर कोई रास्ता अवरूद्व नहीं है मौके पर कमिश्नर भेजकर भी इसकी तस्दीक की जा सकती है। वादीगण को कोई विनाय मुखासमत

उपखण्ड अधिकारी
कसेरा (राज०)

पैदा नही हुई है। दावा खारिज होने योग्य है। वादिया रामपति मुकदमे बाज किस्म की आदतन झगडालू फितरत से हरसाल में झूठे–झूठे कई कई मुकदमें मुझ मदनमोहन के खिलाफ करती रहती है। क्योंकि मेरे पिता लिल्लो के 1/3 हिस्से पर इसकी निगाह है तथा येन–केन प्रकारण उससे मुझसे छीनना चाहता हैं। मदनमोहन लिल्लो के वारिसान के रूपमें जमाबंदी में भी बतौर दत्तक पुत्र विरासत में दर्ज हो चुका हूं ऐसी सूरत में वादीगण का दावा वेग एवं अस्पष्ट है क्योकि मेरे नामांतकरण भरे जाने का उनको कई साल पहले से पता है। लिल्लो की जिंदगी में भी रामपति ने मुझ मदनमोहन का गोद लिया जाने को निरस्त करने के लिये स्वयं लिल्लो व मुझ मदनमोहन को फरीक बनाते हुये दावा श्रीमान मुन्सिफ साहब करौली के यहां पेश किया। जिसका उनवान रामपति बनाम लिल्लो वगैरहा मुकदमा नंबर 6/16, 82/07 जिसमें भी मेरे दत्तक ग्रहण को चेलेन्ज किया गया। परन्तू लिल्लो ने स्वंय ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया तथा रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया। जिसके नतीजे में रामपति का दावा दिनांक 11.10.2017 को मुन्सिफ साहब ने खारिज कर दिया तथा दत्तक ग्रहण को कानूनी माना, परन्तू इस तथ्य को छुपाकर मौजूदा दावा पेश कर दिया है जो मय खर्चा हजा खारिज होने योग्य है। जिसकी प्रमाणित प्रति जवाब दावे के साथ पेश की जा रही है। वादी ने जो रिलीफ चाहा है उसे वह रिलीफ किसी भी सूरत में नही दिया जा सकता। क्योंकि सह खातेदारी की भूमि है तथा स्वयं सरकार से फसलों की रखवाली के लिये जमीन की सुरक्षा के लिये तार व खंभे दिये जाते है वैजा तौर वादीगण ने मेरी फसलो की रखवाली के उद्वेश्य से अपने हिस्से मे लगाये गये तारो का हटवाना चाहती है जिससे मेरा करीब 10–15 हजार रूपये लगे हुऐ है प्रतिवादी नंबर 5 व 6 पाबंद करने का कोई उचित नही है क्योंकि हमारा काश्तकार जीवन गुजर बसर है और यह ही हमारा जरिया मास है। रामपति अपनी आदत के मुताबिक मजीद मुकदमें बाजी का दवाब बनान तैयार करना चाहती है जिससे तहत दावा पेश कर लिये है जो खारिज होने योग्य है। पूर्व से चल रहे एवं फैसल हुऐ मुकदमा के पेशेनजर मौजूदा दावा व दर0 की

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

कार्यवाही ओ010 सी.पी.सी. के तहत रद्द होने योग्य है। सायलान खुद आदतन झगडालू है तथा राह मुकदमा बार हो जाने के बाद भी झूठे मुकदमें कर हम प्रतिवादीगण को तंग व परेशान कर रहे है इसलिए हम अपनी ओर से काउन्टर क्लेम पेश करते है तथा श्रीमान से यह इस्तदुआ करते है कि वादीगण को पाबंद यिका जावे कि वह मुद्रा मदनमोहन के 1/3 हिस्से तथा छोटे के वारिसान मल्ला, प्रकाश, बबलू, मोहन के 1/3 हिस्से कब्जे काश्त में वादीगण मदाखलत मजाहमत तो स्वयं पैदा करे ना दीगर किसी से करावें। कोर्ट फीस काउन्टर क्लेम हेतु 1/–रूपये अलग से पेश है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 ता 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श 1 प्रस्तुत की है। जिसमें वादीग्रस्त भूमि वादीगण के 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी नंबर 1 के 1/3 हिस्से एवं लिल्लो पुत्र सुका 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी नंबर 3 लिल्लो का गोदपुत्र है। जिसके हक में लिल्लो द्वारा दिनांक 27.04.2007 को रजिस्टर्ड गोदनामा किया गया है। इस गोदपत्र को वादिया द्वारा सिविल न्यायालय, करौली में दावा के द्वारा चुनौती दी गई थी। उक्त दावा दिनांक 11.10.17 को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, करौली द्वारा खारिज किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 3 लिल्लो का दत्तक पुत्र होना साबित है। वादीगण भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार नहीं है। वादीगण कोई घोषणा 1/2 हिस्से की एवं बंटवारा 1/2 हिस्से का कराने के हकदार नहीं है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध सह खातेदारी भूमि होने से किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। वादीगण भूमि में अपना 1/2 हिस्सा साबित करने में असफल

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–1 में भूमि वादीगण के 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 व 5 के पिता छोटे एवं प्रतिवादी नंबर 4 मदनमोहन पुत्र छोटे दत्तक पुत्र सिल्लो के 2/3 हिस्से खातेदारी में संयुक्त है। भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्व भूमि पर इंच–इंच समान कब्जा होने से कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 4 के विवेचन से वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा हक खातेदारी अधिकार साबित करने में असफल रहे है। दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है एवं प्रतिवादीगण भूमि सह खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा काउन्टर क्लेम के द्वारा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/3/16 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली